निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /DMO-19/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा एवं श्री एस.एस.दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.05.2018 से 16.05.2018 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवंत सिंह एवं श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.12.2017 से 26.12.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह ....--..... से ....--..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह .....--..... से .....--..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - जनपद उत्तरकाशी

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	1265.68
2016-17	1210.60
2017-18	1638.19

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- अधिक मासिक राजस्व जमा के आधार पर ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तरः- 1 निर्माण कार्यो में अवैध उपखनिज के प्रयोग पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 18.27 करोड़ ।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली,2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमशः अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 5000 व चुगान पट्टे हेतु ₹ 100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, उत्तरकाशी की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखो की जांच में पाया गया कि उक्त लिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि उक्तलिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 45664101/-जमा किया गया था। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत की जाती तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होती, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन, परिवहन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था जिससे राजस्व की हानि हुई। खनिजों के अभिवहन हेतु ई-रवन्ना पद्यति लागू किए जाने के संबंध में उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1578/VII-1/158-ख/04टीसी-II दिनांक 30 सितम्बर,2016 के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से ई रवन्ना लागू किया गया था, राज्य क्षेत्रांतर्गत खनिजों के अभिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा भंडारण/क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लांट स्थल से खनिजों के परिवहन हेतु e-form "J" का निर्धारण किया गया है। लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना उल्लिखित प्रपत्रों के ही उपखनिजों का खनन/ परिवहन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा किया गया, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर,2016 के अनुसार अवैध खनन पर ₹ 200000/- अर्थदण्ड और उपखनिज परिवहन

करने वाले वाहन के प्रकार के अनुसार ₹ 5000 से 50000/-तक अर्थदण्ड एवं अवैध उत्खनित खनिज परिवहन की जा रही उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाने का प्रावधान था। जिला उत्तरकाशी के निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में अत्यधिक मात्रा 414713.5 घनमीटर (45664101/110.11) अवैध उपखनिज निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था (विवरण पत्र संलग्न)। निर्माण इकाइयों के द्वारा निर्माण कार्यो में प्रयुक्त की गई उपखनिजों के सापेक्ष कुल ₹ 45664101/- रॉयल्टी जमा किया गया था, का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, जिसे खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण सरकार को ₹ 182656404.00 (45664101x5 = 22,83,20,505) 45664101 राजस्व की हानि हुई।

विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि जिले में बिना अनुज्ञा पत्र एवं पट्टे के खनन कार्य नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी दशा में बिना e-form एमएम-11 एवं e-form J के खनिज परिवहन किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि निर्माण इकाइयों के द्वारा निर्माण कार्यो में अवैध खनन/ परिवहन की गई उपखनिज प्रयुक्त कर रॉयल्टी जमा की गई थी, जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था।

पर विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि "सभी सरकारी निर्माण इकाइयों को नियमावली,2005 यथा संशोधित 2016 के अनुसार निर्देश जारी किए जायेंगे तथा प्राप्त प्रत्युत्तर से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा"।

विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर,2016 के अनुसार अवैध खनन/ परिवहन एवं भंडारण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । यदि विभाग के द्वारा यथा नियमानुसार कार्यवाही की गयी होती तो ₹ 182656404 की प्राप्ति होती। लेकिन विभाग के द्वारा नियमावली/नीति के अनुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण ₹ 18.27 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी। अतः नियमावली /नीति के प्रावधानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण ₹ 18.27 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

अतःउक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों एवं शासन के संज्ञान में लाया जाता है

जिला उत्तरकाशी के निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में जमा की गई रॉयल्टी का विवरण

क्रम संख्या	निर्माण इकाई का नाम	बिना e-form MM-11 एवं e-form J के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि
1.	सिंचाई खंड उत्तरकाशी	14152403.00
2.	निर्माण खंड पी.डब्लू.डी उत्तरकाशी	8890520.00
3.	प्रांतीय खंड पी.डब्ली.डी उत्तरकाशी	4162928.00
4.	पेजल निर्माण निगम उत्तरकाशी	503841.00
5.	जिला पंचायत उत्तरकाशी	3267687.00
6.	ग्रामीण अवियंत्रण सेवा उत्तरकाशी	3129951.00
7.	लघु सिंचाई खंड उत्तरकाशी	2680197.00
8.	एशियन विकास बैंक खंड उत्तरकाशी	2957369.00
9.	अवस्थापना खंड उत्तरकाशी	1928431.00
10.	लघु डाल खंड उत्तरकाशी	34164.00
11.	निर्माण खंड पी.डब्लू.डी बइकोट	3956610.00
12.	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, बइकोट	सूचना अप्राप्त
13.	डी.जी.बी.आर उत्तरकाशी	सूचना अप्राप्त
14.	SGVNL मौरी उत्तरकाशी	सूचना अप्राप्त
		45664101.00

भाग 2 (ब)

प्रस्तरः-1- पट्टा धारकों से बकाया रायल्टी एवं ब्याज की वसूली न किया जाना ₹ 37.88 लाख।

शासनादेश संख्या 1917/VII-1/130-ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर 2013 के बिन्दु 9 (iv)(पाँच)के अनुसार यह प्रावधान किया गया था, कि सफल निविदाकार द्वारा खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15% वार्षिक ब्याज सहित जमा किए जाने का नोटिस जारी किया जायेगा। यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो पुनः खान अधिकारी द्वारा 07 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 18% वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी किया जायेगा, यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा। खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टा धारक से पृथक से भू- राजस्व की क्षति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी तथा पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची मे डाल दिया जायेगा। इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1561/VII-I /80 ख/2016 देहारादून दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा ब्याज की दर 24% निर्धारित की गयी है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संलग्न सूची में प्रदर्शित 5 खनन पट्टा धारकों द्वाराविलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर ब्याज जमा नहीं कराया गया था । अतः इसके अतिरिक्त दिनांक 31-05-2018 तक ब्याज की धनराशि ₹ 607196/- बनती है। 3 खनन पट्टा धारकों द्वारा देय मासिक रायल्टी की धनराशि ₹ 3180759/- लेखा परीक्षा तिथि तक (मई 2018) जमा नहीं की गयी थी।

उक्त प्रकरण विभाग के संज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा पत्रावलियों की जांचोपरान्त विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

अतः बकाया रायल्टी एवं ब्याज ₹ 37.88 (31.81+6.07) के कारण राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017–18 का विवरण :–

1.

लॉट/क्वेरी का नाम	आवंटन तिथि	**वार्षिक** भाटक/ मासिक किस्त	रायल्टी जमा करने की **निश्चित** तिथि	रायल्टी जमा करने की तिथि	जमा धनराशि	रायल्टी माह	अवशेष धनराषि	विलम्ब की अवधि (दिन में)	**ब्याज की दर 24%**	ब्याज व धनरा
ो रणबीर महन्त पुत्र ो केषर सिंह, ग्राम ड़ीयाड़ी, चिन्यालीसौड़, नपद उत्तरकाषी।	24.05.14	76,317.00	आगामी माह की रायल्टी पूर्व माह की 20 तारीख तक	चा. सं. 0001 दि0 20.02.17	1,52,634.00	**मार्च 17**	.	.	-	
						अप्रैल 17	.	.	-	
				चा. सं. 48 दि0 29.05.17	76,317.00	**मई 17**	.	39	-	19
				चा. सं. 00005 दि0 30.05.17	76,317.00	**जून 17**	.	10	.	5
				चा. सं. 005 दि0 05.06.17	76,317.00	**अक्टूबर 17**	.	.	.	
				चा. सं. 00012 दि0 09.06.17	76,317.00	**नवम्बर 17**	.	.	.	
				चा. सं. 0005 दि0 16.06.17	152634.00	**दिसम्बर 17**	.	.	.	
						जनवरी 18	.	.	.	
				चा. सं. 0001 दि0 18.01.18	3,81,582.00	**फरवरी 18**	.	.	.	
						मार्च 18	.	.	.	
							योग			245

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017–18 का विवरण :–

2.

लॉट/क्वेरी का नाम	आवंटन तिथि	**वार्षिक** भाटक/ मासिक किस्त	रायल्टी जमा करने की **निश्चित** तिथि	रायल्टी जमा करने की तिथि	जमा धनराषि	रायल्टी माह	अवशेष धनराषि	अ
श्री प्रताप सिंह पुत्र भादु सिंह ग्राम व तहसील चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाषी	30.01.15	3,89,975.00	आगामी माह की रायल्टी पूर्व माह की 20 तारीख तक	**जमा नही**	–	अप्रैल 17	389975	
				चा0 सं 29 दि0 26.05.17	3,89,975.00	मई 17	.	
				चा0 सं 7 दि0 13.06.17	3,89,75.00	जून 17	.	
				चा0 सं 07 दि0 15.06.17	3,89,975.00	अक्टूबर 17	.	
				जमा नही	–	नवम्बर 17	389975	(
				जमा नही	–	दिसम्बर 17	389975	(
				जमा नही	–	जनवरी 18	389975	(
				चा0 सं 13 दि0 07.02.18	3,89,975.00	फरवरी 18	.	
				चा0 सं 3 दि0 13.03.18	3,89,975.00	मार्च 18	.	
				चा0 सं 12 दि0 26.03.18	3,89,975.00	अप्रैल 18	.	
						योग	**1559900**	

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017–18 का विवरण :–

3.

लॉट/क्वेरी का नाम	आवंटन तिथि	**वार्षिक** भाटक/ मासिक किस्त	रायल्टी जमा करने की **निश्चित** तिथि	रायल्टी जमा करने की तिथि	जमा धनराषि	रायल्टी माह	अवशेष धनराषि	अ
श्री प्रताप सिंह पुत्र पाल सिंह ग्राम नागणीं बडी तहसील चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाषी।	28.10.15	1,36,445.00	आगामी माह की रायल्टी पूर्व माह की 20 तारीख तक	चा0 सं. 32 दि0 10.04.17	1,98,813.00	अप्रैल 17	-	
						मई 17	-	
				चा0 सं. 30 दि0 04.07.17	4,70,000.00	जून 17	-	
				चा0 सं. 22 दि0 15.10.17	20,000.00	अक्टूबर 17	-	
						नवम्बर 17	-	
				चा0 सं. 33 दि0 17.01.18	2,00,000.00	दिसम्बर 17	-	
				चा0 सं. 20 दि0 23.01.18	1,36,445.00	जनवरी 18	-	
				चा0 सं. 20 दि0 02.02.18	2,72,890.00	फरवरी 18 मार्च 18	-	
				चा0 सं. 33 दि0 19.02.18	2,72,890.00	अप्रैल 18 मई 18	-	
				चा0 सं. 14 दि0 26.03.18	1,36,445.00	जून 18	-	
						योग		

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017–18 का विवरण :–

4.

लॉट/क्वेरी का नाम	आवंटन तिथि	**वार्षिक** भाटक/ मासिक किस्त	रायल्टी जमा करने की **निश्चित** तिथि	रायल्टी जमा करने की तिथि	जमा धनराषि	रायल्टी माह	अवशेष धनराषि	विलम्ब की अ में
श्री जगवीर सिहं भण्डारी पुत्र खुषाल सिंह ग्राम व पो0 पौन्टी तहसील बडकोट जनपद उत्तरकाषी।	22.10..16	88,122.00	आगामी माह की रायल्टी पूर्व माह की 20 तारीख तक	चा0 सं.21 दि0 18.05.2017	88,122.00	अप्रैल 17	-	
				चा0 सं.28 दि0 26.05.2017	88,122.00	मई 17	-	
				चा0 सं.9 दि0 24.10.17	88,122.00	जून 17	-	
				चा0 सं.16 दि0 09.10.17	88,122.00	अक्टूबर 17	-	
				चा0 सं.25 दि0 14.11.2017	88,122.00	नवम्बर 17	-	
				जमा नही	–	दिसम्बर 17	88182	192 (31.0
				चा0 सं.6 दि0 24.01.2018	50000.00	जनवरी 18	-38182	(31.0
				जमा नही	–	फरवरी 18	88182	131(31.0
				जमा नही	–	मार्च 18	88182	100(31.0
						योग	**302728**	

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017–18 का विवरण :–

5.

लॉट/क्वेरी का नाम	आवंटन तिथि	**वार्षिक** भाटक/ मासिक किस्त	रायल्टी जमा करने की **निश्चित** तिथि	रायल्टी जमा करने की तिथि	जमा धनराषि	रायल्टी माह	अवशेष धनराषि	विल
श्री बलबीर नेगी, ग्राम बड़ेथी त0 चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाषी।	24.01.14	1,46,459.00	आगामी माह की रायल्टी पूर्व माह की 20 तारीख तक	**जमा नही**		**मार्च 17**	146459	
				जमा नही		**अप्रैल 17**	146459	
				जमा नही		**मई 17**	146459	
				जमा नही		**जून 17**	146459	
				जमा नही		**अक्टूबर 17**	146459	
				जमा नही		**नवम्बर 17**	146459	
				जमा नही		**दिसम्बर 17**	146459	
				जमा नही		**जनवरी 18**	146459	
				जमा नही		**फरवरी 18**	146459	
				चा0 सं.19 दि0 01.03.2018	292918.00	**मार्च 18**	.	
						योग	**1318131**	
						महायोग	**3180759**	

भाग-III

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 क	2 ब	2 क	2 ब	2 क	2 ब
DMO/120/2017-18	1,2,3,4	1	-	-	1,2,3,4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
DMO-120/2017-18	भाग-2 अ- 1,2,3,4 भाग-2 ब- 1		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वीरेन्द्र कुमार	जिला खान अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला खान अधिकारी उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र